# कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813


**पत्रांक : 01/यो0बजट–48बी0/2015–645 दिनांक : 13.05.2017**

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमंडल, देवघर।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर/गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा/गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा/लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग/ हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग/चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा/चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा/कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, देवघर/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग।

**विषय** :– वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2021–22 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनभूमि पर वृक्षारोपण, शीघ्र बढ़नेवाले पौधों का वृक्षारोपण एवं गैर– वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) के लिए कुल **रू0 97.740 लाख (सन्तानबे लाख चौहत्तर हजार रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

**प्रसंग**:– वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 04/यो0बजट–70/2015–30/स्वी0 व0 प0 दिनांक–17.08.2015 एवं स्वीकृत्यादेश संख्या 04/यो0बजट–70/2015–60/स्वी0 व0 प0 दिनांक–07.03.2017 तथा वन विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट– 70/2015–40/आ0 व0प0 दिनांक 12.04.2017 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष– 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–58–अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंध के अंतर्गत आवंटित राशि से कुल **रू0 97.740 लाख (सन्तानबे लाख चौहत्तर हजार रूपये) मात्र** का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता हैः–

| प्राथमिक इकाई | विपत्र कोड | (राशि लाख में) |
|---|---|---|
| मजदूरी | 19S240601789580103 | 85.383 |
| आपूर्ति एवं सामग्री | 19S240601789580323 | 12.357 |
| कुल :- | | **97.740** |

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1(क) से 1(ग)** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक-2(क) से 2(ग)** तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या- पी0 19S240601789580103 तथा पी0 19S240601789580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. वन प्रमण्डलों द्वारा "स्थल विशेष प्राक्कलन" श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं कार्य दरों पर तैयार किया जायेगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी जिसकी प्रमंडलवार समेकित प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित किया जाएगा।

नियंत्री तथा व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही रखा जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक

पदाधिकारियों एवं सबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

7. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथ एतद् संबंधी पत्र–परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

9. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. रोपित पौधों/ वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/ सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी। वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

12. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

**अनुलग्नक :– यथोक्त ।**

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–48बी0/2015– 645** दिनांक– **13.05.2017**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संथाल परगना, दुमका/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मेदिनीनगर, पलामू/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अचंल, देवघर/प्रादेशिक अचंल, मेदिनीनगर, पलामू/प्रादेशिक अंचल, गढ़वा/ प्रादेशिक अचंल, हजारीबाग/ प्रादेशिक अंचल, चतरा/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनुलग्नक :– यथोक्त ।**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–48बी0/2015– 645** दिनांक– **13.05.2017**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, देवघर/कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर, पलामू/ कोषागार पदाधिकारी, गढवा/ कोषागार पदाधिकारी, लातेहार/ कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग/ कोषागार पदाधिकारी, चतरा/ कोषागार पदाधिकारी, कोड़रमा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनुलग्नक :– यथोक्त ।**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–48बी0/2015– 645** दिनांक– **13.05.2017**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित वन संरक्षक, योजना अंचल, राँची/उप वन संरक्षक, योजना, जनजातीय क्षेत्र, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनुलग्नक :– यथोक्त ।**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनु0–1 (क)

**वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण" योजना (पुरानी–भू–संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (अनु0जा0 के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य**

| क्रम सं0 | कार्यालय/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय वर्ष 2017–18 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | मजदूरी | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल |
| | | | 7853.38 | 961.00 | 8814.38 |
| **i** | **ii** | **iii** | **iv** | **v** | **vi** |
| 1 | देवघर वन प्रमंडल, देवघर | 60 | 4.712 | 0.576 | 5.288 |
| 2 | सामाजिक वानिकी प्रमंडल, देवघर | 25 | 1.963 | 0.239 | 2.202 |
| 3 | सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा | 30 | 2.356 | 0.288 | 2.644 |
| 4 | सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग | 30 | 2.356 | 0.288 | 2.644 |
| 5 | मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर | 70 | 5.497 | 0.672 | 6.169 |
| 6 | गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा | 60 | 4.712 | 0.577 | 5.289 |
| 7 | गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा | 60 | 4.712 | 0.577 | 5.289 |
| 8 | लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार | 60 | 4.712 | 0.577 | 5.289 |
| 9 | चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा | 60 | 4.712 | 0.577 | 5.289 |
| 10 | चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा | 60 | 4.712 | 0.577 | 5.289 |
| 11 | कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा | 60 | 4.712 | 0.577 | 5.289 |
| 12 | हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल,हजारीबाग | 60 | 4.712 | 0.577 | 5.289 |
| 13 | हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग | 60 | 4.712 | 0.577 | 5.289 |
| **योग :–** | | **695** | **54.580** | **6.679** | **61.259** |

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

**वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण'' योजना (पुरानी–भू–संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (अनु0जा0 के लिए विशेष घटक योजना) क अंतर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधो का रोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य**

| क्रम सं0 | कार्यालय/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय वर्ष 2017–18 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | मजदूरी | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल |
| | | | 13370.98 | 2402.50 | 15773.48 |
| **i** | **ii** | **iii** | **iv** | **v** | **vi** |
| 1 | गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा | 30 | 4.011 | 0.721 | 4.732 |
| 2 | गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा | 30 | 4.011 | 0.721 | 4.732 |
| 3 | चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा | 30 | 4.011 | 0.721 | 4.732 |
| 4 | हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग | 25 | 3.343 | 0.601 | 3.944 |
| 5 | मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर | 25 | 3.343 | 0.601 | 3.944 |
| 6 | चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा | 60 | 8.023 | 1.440 | 9.463 |
| **योग :–** | | **200** | **26.742** | **4.805** | **31.547** |

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

अनु0–1 (ग)

**वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण" योजना (पुरानी–भू–संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत गैर–वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य**

| क्रम सं0 | कार्यालय/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय वर्ष 2017–18 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | मजदूरी | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल |
| | | | 10152.38 | 2182.40 | 12334.78 |
| **i** | **ii** | **iii** | **iv** | **v** | **vi** |
| 1 | सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा | 40 | 4.061 | 0.873 | 4.934 |
| **सकल योग :–** | | **40** | **4.061** | **0.873** | **4.934** |

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

अनुलग्नक–2 (क)

# वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

## योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास योजना

**पौधों की संख्या प्रति हे0 : 1000 पौधे**

मजदूरी दर **229.90** प्रति मानव दिवस

**स्पेसिंग 3 मी. X 3 मी. अथवा 2 मी. x 2 मी. अथवा 3 मी. x 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)**

| कम | कार्य का विवरणी | इकाई | मानव दिवस | मजदूरी (रू0 में) | सामग्री (रू0 में) | कुल व्यय (रू0 में) | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i | ii | iii | iv | v | vi | vii | viii |
| **(A)** | **वित्तीय वर्ष 2017–18 में सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)** | | | | | | |
| 1 | एक कोड़नी–निकौनी | हे0 | 14.00 | 3218.60 | 0.00 | 3218.60 | |
| 3 | सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0 / उरिया, जैविक किटनासक आदि) | हे0 | 0.00 | 0.00 | 785.00 | 785.00 | |
| 4 | पौधों की सुरक्षा | | | 0.00 | | | |
| 4.1 | 30 हे0 तक | हे0 | 12.16 | 2795.58 | | 2795.58 | |
| 4.2 | 30 हे0 से 60 हे0 तक | | | | | | |
| 5 | घेरान मरम्मति | हे0 | 6.00 | 1379.40 | 0.00 | 1379.40 | |
| 6 | मृत पौधों का प्रतिस्थापन | हे0 | 2.00 | 459.80 | 176.00 | 635.80 | |
| | **योग :–** | | **34.16** | **7853.38** | **961.00** | **8814.38** | |

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–2 (ख)

# वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

## योजना का नाम : 2500 पौधे का वृक्षारोपण शीघ्र बढ़ने वाले / तसर वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे0 : 2500 पौधे

मजदूरी दर 229.90 प्रति मानव दिवस

पौधों की दूरी : 2 मी0 x 2 मी0

| कम | कार्य का विवरणी | इकाई | मानव दिवस | मजदूरी (रू0 में) | सामग्री (रू0 में) | कुल व्यय (रू0 में) | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i | ii | iii | iv | v | vi | vii | viii |
| **(A)** | **वित्तीय वर्ष 2017–18 में सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)** | | | | | | |
| 1 | एक कोड़नी–निकौनी | हे0 | 35.00 | 8046.50 | 0.00 | 8046.50 | |
| 2 | सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0 / उरिया, जैविक किटनासक आदि) | हे0 | 0.00 | 0.00 | 1962.50 | 1962.50 | |
| 3 | पौधों की सुरक्षा | | | | | | |
| 3.1 | 30 हे0 तक | हे0 | 12.16 | 2795.58 | | 2795.58 | |
| 3.2 | 30 हे0 से 60 हे0 तक | | | | | | |
| 4 | घेरान मरम्मति | चेन | 6.00 | 1379.40 | 0.00 | 1379.40 | |
| 5 | मृत पौधों का प्रतिस्थापन | हे0 | 5.00 | 1149.50 | 440.00 | 1589.50 | |
| | **योग :–** | | **58.16** | **13370.98** | **2402.50** | **15773.48** | |

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–2 (ग)

# वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

## योजना का नाम– भू–संरक्षण एवं वनरोपण योजना गैर–वनभूमि अंतर्गत वृक्षारोपण

**पौधों की संख्या प्रति हे0 : 1666**

**पौधों की दूरी : (3 मी0 X 2 मी0)**

मजदूरी दर **229.90** प्रति मानव दिवस

| क्र0 | कार्य का विवरणी | इकाई | मानव दिवस | मजदूरी (रू० में) | सामग्री (रू० में) | कुल व्यय (रू० में) | अभियुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 |
| (A) | **वित्तीय वर्ष 2017–18 में सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)** | | | | | | |
| 1 | एक कोड़नी एवं निकौनी | हे0 | 23.00 | 5287.70 | 0.00 | 5287.70 | |
| 2 | सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि) | | 0.00 | 0.00 | 1892.40 | 1892.40 | |
| 3 | पौधों की सुरक्षा (30 हे0 तक)<br>पौधों की सुरक्षा (30 हे0 से अधिक) | हे0 | 12.16 | 2795.58 | 0.00 | 2795.58 | |
| 4 | गड्ढा घेरान की मरम्मत | चेन | 1.00 | 229.90 | 0.00 | 229.90 | |
| 5 | मृत पौधों का प्रतिस्थापन | हे0 | 3.00 | 689.70 | 290.00 | 979.70 | |
| 6 | सिंगलिंग एवं प्रुनिग | हे0 | 5.00 | 1149.50 | 0.00 | 1149.50 | |
| | योग :– | | **44.16** | **10152.38** | **2182.40** | **12334.78** | |

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

झारखण्ड सरकार

# आवंटन आदेश

## झारखंड सरकार

चालू वितीय वर्ष 2017-18 मे व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/YB-48b/2015/645 दिनांक - 13-May-2

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S 19 240601789580103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>State Scheme :<br>Centeral Scheme : | 31171 | DGRFORE88<br>MAMTA PRIYADARSHI<br>DFO<br>DEO.FOR.DIV.DEO. | 471,200.00<br>रुपये चार लाख इकहत्तर हजार दो सौ |
| 2 | S 19 240601789580103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>State Scheme :<br>Centeral Scheme : | 31172 | DGRFORE87<br>MANEL TUDU<br>D.F.O. S.F.DIV.. DGR | 196,300.00<br>रुपये एक लाख छयानवे हजार तीन सौ |
| 3 | S 19 240601789580103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचिन जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>State Scheme :<br>Centeral Scheme : | 31173 | KDMFORA02<br>RAMESH PRASAD KAMAL<br>D.F.O (S.F.) KODERMA | 641,700.00<br>रुपये छः लाख इकतालीस हजार सात सौ |

योग: 1,309,200.00

क्रमिक योग: रुपये तेरह लाख नौ हजार दो सौ

(SHRI SATNAM SINGH BADHAWAN IFS)

ADDI.PCCF DEV. JHARKHAND

RANCHI



Run Date: 13/5/2017

पत्र संख्या - 01/YB-48b/2015/645 दिनांक - 13-May-2

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 4 | S 19 240601789580103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>State Scheme :<br>Centeral Scheme : | 31174 | HZBFWL007<br>SHREE BHAGWAN MISHRA, I.F.S. D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG | 235,600.00<br>रुपये दो लाख पैतीस हजार छः सौ |
| 5 | S 19 240601789580103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>State Scheme :<br>Centeral Scheme : | 31175 | PLMFOR070<br>NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV. | 884,000.00<br>रुपये आठ लाख चौरासी हजार |
| 6 | S 19 240601789580103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>State Scheme :<br>Centeral Scheme : | 31176 | GRHFWL001<br>ASHOK KUMAR DUBEY<br>D.F.O. NORTH DIV. GARHWA | 872,300.00<br>रुपये आठ लाख बहत्तर हजार तीन सौ |

योग: 1,991,900.00

क्रमिक योग: रुपये तैतीस लाख एक हजार एक सौ 3,301,100.00

(SHRI SATNAM SINGH
BADHAWAN IFS)
ADDI.PCCF DEV. JHARKHAND
RANCHI



Run Date: 13/5/2017

पत्र संख्या - 01/YB-48B/2015/645 दिनांक - 13-May-2

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 7 | S 19 240601789580103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>State Scheme :<br>Centeral Scheme : | 31177 | GRHFWL004<br>SR ARVIND KUMAR<br>D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA | 872,300.00<br>रुपये आठ लाख बहत्तर हजार तीन सौ |
| 8 | S 19 240601789580103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>State Scheme :<br>Centeral Scheme : | 31178 | LTRFOR001<br>VIJAY SHANKAR DUBEY<br>DFO FOREST DIV LATEHAR | 471,200.00<br>रुपये चार लाख इकहत्तर हजार दो सौ |
| 9 | S 19 240601789580103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>State Scheme :<br>Centeral Scheme : | 31179 | CTRFOR002<br>RAVINDRA NATH MISHRA<br>D.F.O, NORTH DIV. CHATRA | 1,273,500.00<br>रुपये बारह लाख तीहत्तर हजार पाँच सौ |

योग: 2,617,000.00

क्रमिक योग: रुपये उनसठ लाख अठारह हजार एक सौ 5,918,100.00

(SHRI SATNAM SINGH

ADDI.PCCF(DEV.)JHARKHAND

RANCHI



Run Date: 13/5/2017

पत्र संख्या - 01/YB-48B/2015/645 दिनांक - 13-May-2

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 10 | S 19 240601789580103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>State Scheme :<br>Centeral Scheme : | 31180 | CTRFOR003<br>MADHUKAR<br>D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA | 872,300.00<br>रुपये आठ लाख बहत्तर हजार तीन सौ |
| 11 | S 19 240601789580103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>State Scheme :<br>Centeral Scheme : | 31181 | KDMFORA01<br>MITHILESH KUMAR SINGH<br>D.F.O. KODERMA | 471,200.00<br>रुपये चार लाख इकहत्तर हजार दो सौ |
| 12 | S 19 240601789580103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>State Scheme :<br>Centeral Scheme : | 31182 | HZBFWL005<br>RAJIV RANJAN<br>D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB | 805,500.00<br>रुपये आठ लाख पॉच हजार पॉच सौ |

योग: 2,149,000.00

क्रमिक योग: रुपये अस्सी लाख सड़सठ हजार एक सौ 8,067,100.00

(SHRI SATNAM SINGH

BAPHAWAN IFS)

ADDI.PCCF(DEV)JHARKHAND

RANCHI



Run Date: 13/5/2017

पत्र संख्या - 01/YB-48B/2015/645 दिनांक - 13-May-2

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 13 | S 19 240601789580103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br>State Scheme :<br>Centeral Scheme : | 31183 | HZBFWL009<br>SUSHIL SOREN<br>DIV. FOREST OFFICE EAST | 471,200.00<br>रुपये चार लाख इकहत्तर हजार दो सौ |
| 14 | S 19 240601789580323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>State Scheme :<br>Centeral Scheme : | 31184 | DGRFORE88<br>MAMTA PRIYADARSHI<br>DFO<br>DEO.FOR.DIV.DEO. | 57,600.00<br>रुपये सत्तावन हजार छः सौ |
| 15 | S 19 240601789580323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>State Scheme :<br>Centeral Scheme : | 31185 | DGRFORE87<br>MANEL TUDU<br>D.F.O. S.F.DIV.. DGR | 23,900.00<br>रुपये तेइस हजार नौ सौ |

योग: 552,700.00

क्रमिक योग: 8,619,800.00

रुपये छियासी लाख उन्नीस हजार आठ सौ

(SHRI SATNAM SINGH

ADDI.PCCF,DEV.,JHARKHAND

RANCHI



Run Date: 13/5/2017

पत्र संख्या - 01/YB-48B/2015/645 दिनांक - 13-May-2

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 16 | S 19 240601789580323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>State Scheme :<br>Centeral Scheme : | 31186 | KDMFORA02<br>RAMESH PRASAD KAMAL<br>D.F.O (S.F.) KODERMA | 116,100.00<br>रुपये एक लाख सोलह हजार एक सौ |
| 17 | S 19 240601789580323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>State Scheme :<br>Centeral Scheme : | 31187 | HZBFWL007<br>SHREE BHAGWAN MISHRA, I.F.S.<br>D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG | 28,800.00<br>रुपये अठाइस हजार आठ सौ |
| 18 | S 19 240601789580323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>State Scheme :<br>Centeral Scheme : | 31188 | PLMFOR070<br>NARESH CHANDRA SINGH MUNDA<br>D.F.O.MEDININAGAR.OREST.DIV. | 127,300.00<br>रुपये एक लाख सत्ताइस हजार तीन सौ |

योग: 272,200.00

क्रमिक योग: रुपये अठयासी लाख बयानवे हजार 8,892,000.00

(SHRI SATNAM SINGH

ADDI.PCCF DEV. JHARKHAND

RANCHI



Run Date: 13/5/2017

पत्र संख्या - 01/YB-48B/2015/645 दिनांक - 13-May-2

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 19 | S 19 240601789580323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>State Scheme :<br>Centeral Scheme : | 31189 | GRHFWL001<br>ASHOK KUMAR DUBEY<br>D.F.O. NORTH DIV. GARHWA | 129,800.00<br>रुपये एक लाख उन्तीस हजार आठ सौ |
| 20 | S 19 240601789580323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>State Scheme :<br>Centeral Scheme : | 31190 | GRHFWL004<br>SR ARVIND KUMAR<br>D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA | 129,800.00<br>रुपये एक लाख उन्तीस हजार आठ सौ |
| 21 | S 19 240601789580323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>State Scheme :<br>Centeral Scheme : | 31191 | LTRFOR001<br>VIJAY SHANKAR DUBEY<br>DFO FOREST DIV LATEHAR | 57,700.00<br>रुपये सत्तावन हजार सात सौ |

योग: 317,300.00

क्रमिक योग: रुपये बयानवे लाख नौ हजार तीन सौ 9,209,300.00

(SHRI SATNAM SINGH

ADDI.PCCF DEV JHARKHAND

RANCHI



Run Date: 13/5/2017

पत्र संख्या - 01/YB-48B/2015/645 दिनांक - 13-May-2

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 22 | S 19 240601789580323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>State Scheme :<br>Centeral Scheme : | 31192 | CTRFOR002<br>RAVINDRA NATH MISHRA<br>D.F.O, NORTH DIV.<br>CHATRA | 201,700.00<br>रुपये दो लाख एक हजार सात सौ |
| 23 | S 19 240601789580323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>State Scheme :<br>Centeral Scheme : | 31193 | CTRFOR003<br>MADHUKAR<br>D.F.O. SOUTH DIVN.<br>CHATRA | 129,800.00<br>रुपये एक लाख उन्तीस हजार आठ सौ |
| 24 | S 19 240601789580323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>State Scheme :<br>Centeral Scheme : | 31194 | KDMFORA01<br>MITHILESH KUMAR SINGH<br>D.F.O. KODERMA | 57,700.00<br>रुपये सत्तावन हजार सात सौ |

योग: 389,200.00

क्रमिक योग: रुपये पिनचानवे लाख अठानवे हजार पाँच सौ 9,598,500.00

(SHRI SATNAM SINGH

ADDI.PCCF, DEV. JHARKHAND

RANCHI

 Run Date: 13/5/2017

पत्र संख्या - 01/YB-48B/2015/645 दिनांक - 13-May-2

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---|---|---|---|---|
| 25 | S 19 240601789580323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>State Scheme :<br>Centeral Scheme : | 31195 | HZBFWL005<br>RAJIV RANJAN<br>D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB | 117,800.00<br>रुपये एक लाख स त्र ह हजार आठ सौ |
| 26 | S 19 240601789580323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना<br>58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br>State Scheme :<br>Centeral Scheme : | 31196 | HZBFWL009<br>SUSHIL SOREN<br>DIV. FOREST OFFICE EAST | 57,700.00<br>रुपये सत्तावन हजार सात सौ |

योग: 175,500.00

क्रमिक योग: रुपये सित्तानवे लाख चौहत्तर हजार 9,774,000.00

(SHRI SATNAM SINGH

ADDI.PSCF DEV JHARKHAND

RANCHI



Run Date: 13/5/2017